

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1711/2006

विनय प्रताप सिंह पुत्र श्री एस.बी. सिंह, मालिक मैसर्स सिल्वर ज्वेल्स, 1/202 विद्याधर नगर, जयपुर, अपने पावर ऑफ अटॉर्नी धारक श्री अशोक सिंह पुत्र श्री बी. सिंह के माध्यम से।

---याचिकाकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी वार्ड-4(4), जयपुर, सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, स्टैच्यू सर्कल, जयपुर। ---
प्रतिवादी

याचिकाकर्ता की ओर से	:	सुश्री परिणीतू जैन
प्रतिवादी की ओर से	:	श्री संदीप पाठक, सुश्री वर्तिका मेहरा के साथ।

माननीय श्री न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन

माननीय श्री न्यायमूर्ति भुवन गोयल

आदेश12/03/2024अवनिष झिंगन, जे (मौखिक):-

- यह याचिका आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 148 के तहत आकलन वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के लिए जारी किए गए नोटिसों को और आपत्तियों को खारिज करने वाले आदेशों को चुनौती देते हुए दायर की गई है।
- संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता चांदी के आभूषण, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों के निर्यात के व्यवसाय में लगा हुआ था। आकलन वर्ष 2001-2002 के लिए ₹2,56,040/- की आय घोषित करते हुए रिटर्न दाखिल किया गया था। मामले को जांच के लिए चुना गया, कुछ रकम जोड़ी गई और 30.03.2004 के आदेश द्वारा कर योग्य

आय ₹1,24,87,189/- निर्धारित की गई थी। आकलन वर्ष 2001-02 के लिए आकलन कार्यवाही के दौरान की गई पूछताछ पर भरोसा करते हुए, उपरोक्त उल्लिखित आकलन वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 148 के तहत 22.06.2004 को नोटिस जारी किया गया था। याचिकाकर्ता ने नोटिस के जवाब में रिटर्न दाखिल किया। 16.12.2005 को आकलन को फिर से खोलने के कारण दिए गए। अन्य आपत्तियों के अलावा, यह आपत्ति उठाई गई थी कि आकलन वर्ष 2001-02 में ₹1,16,96,121/- की जोड़ी गई रकम को आयुक्त, आयकर (अपील) द्वारा 28.02.2005 के आदेश द्वारा हटा दिया गया था और विभाग द्वारा अपील का प्रभाव दिया गया था। आपत्तियों को 23.02.2006 के कवरिंग लेटर द्वारा सूचित आदेशों द्वारा खारिज कर दिया गया था, इसलिए, वर्तमान याचिका दायर की गई है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आकलन नोटिस जारी करने का मूल आधार अपील की स्वीकृति पर अब मौजूद नहीं है। तर्क यह है कि उठाई गई आपत्ति को निपटा दिया गया था।

4. विभाग के विद्वान वकील ने चुनौती दिए गए आदेशों का बचाव किया।

5. **जीकेएन ड्राइवशाफ्ट्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम इनकम टैक्स ऑफिसर और अन्य** के मामले में 259 आईटीआर पृष्ठ 19 पर रिपोर्ट किए गए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने के बाद, याचिकाकर्ता द्वारा रिटर्न दाखिल करने पर, फिर से खोलने के कारण दिए जाने हैं और करदाता द्वारा दायर आपत्तियों को आदेश पारित करके तय किया जाना है।

6. अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी करने के लिए आकलन वर्ष 2001-02 के लिए आकलन कार्यवाही के दौरान नोट की गई विसंगतियों पर भरोसा किया गया था।

7. यह एक निर्विवाद तथ्य है कि आकलन वर्ष 2001-2002 के लिए की गई पर्याप्त जोड़ी गई रकम को अपील में हटा दिया गया था। आपत्तियों को खारिज करते समय, इस विशिष्ट आपत्ति के बावजूद कि आकलन वर्ष 2001-02 के लिए अपील स्वीकार कर ली गई है, इस पर विचार नहीं किया गया था। नतीजतन, आपत्तियों को खारिज करने वाले चुनौती दिए गए आदेशों को रद्द किया जाता है। मामले को प्रतिवादी को वापस

भेजा जाता है ताकि याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद कानून के अनुसार आपत्तियों पर नए सिरे से निर्णय लिया जा सके।

8. आगे की देरी से बचने के लिए, याचिकाकर्ता 15.04.2024 को सुबह 11:00 बजे प्रतिवादी के कार्यालय में उपस्थित हो।

9. याचिका के लंबित रहने के दौरान आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी, ताकि आपत्तियों का निर्णय होने तक जटिलताओं से बचा जा सके, सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए रोक की कार्यवाही को जारी रखा गया माना जाएगा।

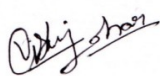
(भुवन गोयल), जे

(अवनीश झिंगन), जे

मोनिका/सुदीपक/9

क्या रिपोर्ट करने योग्य है: हाँ

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़